फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 42/2020 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

शंकरलाल बनाम मनरूप वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
22 2/24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण की ग्राम जेतारण पटवार हल्का पीपाणा तहसील कुम्भलगढ मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि आराजी नंबर 647 रकबा 0.16.00 बीघा व आराजी नंबर 648 रकबा 0.06.00 बीघा मे आने–जाने हेतु ग्राम जेतारण की खातेदारी आराजी नंबर 655,654,649 से 5 फीट चौडा रास्तो जो उतर से दक्षिण की ओर से है प्रार्थीगण को बैलगाडी ट्रेक्टर इत्यादि लाने–लेजाने हेतु 15 फीट चौडा नया रास्ता सृजित कराया जावे । नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु खातेदार श्री हितेश,प्रवीणकुमार पिता अम्बालल सायरीबेन पत्नि अम्बालाल 1/2 व श्री भंवरलाल पिता भेरा 1/2 ब्राहम्ण सा.देह की ग्राम जेतारण की आराजी नंबर 655 रकबा 00.13.00 किस्म पाली 00.01.00 दोसा I 00.12.00 मे से रकबा 0.0.01.04 बीघा व आरजी नंबर 654 रकबा 0.08.00 किस्म पाली 0.01.10 दोसा–2 0.06.10मे से प्रस्तावित रकबा 0.02.05 बीघा व खातेदार श्री मनरुप भूरा बाबुलाल भंवरलाल पिता वना 1/2 मोहनलाल पिता चमनींग 1/2 ब्राहम्ण सा.देह की ग्राम जेतारण की आराजी नंबर 649 रकबा 0.08.10 किस्म पाली 0.01.00 दोसा–I 0.07.10 मे से प्रस्तावित रकबा 0.01.08 बीघा भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि की प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकयता है । विपक्षी संख्या 1 से 9 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है व विपक्षी संख्या 10 से 17 तक के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द किया गय व उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता खातेदारी भूमि से है चूँकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु 15 फीट चौडा व 374 फीट लम्बा अर्थात कुल रकबा 0.05238 हैक्टेयर भूमि का रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर 594598/–प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 31146/–की दुगुनी कीमत 62292/–रूपये संबंधित खातेदारो को उनके हिस्सेनुसार अदा करने पर व यदि खातेदारो द्वारा राशि नही लिये जाने पर संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़, जिला–राजसमन्द (राज.)